राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: एफ 25(62)/परि/कम्प्यू./2016/10407 जयपुर, दिनांक: 15/05/18

कार्यालय आदेश 17/2018

राज्य के अधिकांश परिवहन कार्यालयों में वाहन पंजीयन एवं चालक लाईसेंस संबंधि सेवाऐं वेब आधारित 'वाहन 4.0' एवं 'सारथी 4.0' के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं तथा सभी कार्यालयों में लाईसेंस संबंधि आवेदन पत्र ऑनलाईन प्राप्त करने के निर्देश भी विभाग द्वारा जारी किये गये हैं। वेब आधारित 'सारथी 4.0' के शुरु होने के बाद यह पाया गया है कि विभिन्न परिवहन कार्यालयों द्वारा आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में सभी परिवहन कार्यालयों जहां 'सारथी 4.0' के माध्यम से लाईसेंस जारी किये जा रहे हैं में चालक लाईसेंस की प्रक्रिया में एक रुपता लाने के उद्देश्य से निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं –

1. आवेदक द्वारा लर्निंग लाईसेंस टेस्ट में उत्तीर्ण होने की स्थिति में लर्निंग लाईसेंस कार्यालय के अतिरिक्त स्वयं के द्वारा भी निम्न प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त किया जा सकेगा–

Open URL 'www.parivahan.gov.in'
↓
Select State – Rajasthan
↓
Click on – 'Licence Details'
↓
Click on – 'Print Learners Licence'

उपरोक्त प्रक्रिया के द्वारा आवेदक साधारण A4 आकार के कागज पर लर्निंग लाईसेस प्रिन्ट कर सकेंगें एवं यह लाईसेंस भी कार्यालयों से जारी किये जाने वाले लर्निंग लाईसेंस के समान ही वैध होंगे। कार्यालयों द्वारा आमजन को इस प्रक्रिया से अवगत करवाने हेतु लर्निंग लाईसेंस शाखा में उपरोक्त प्रक्रिया को स्पष्ट रुप से प्रदर्शित किया जावे एवं आमजन को इस हेतु जागरुक किया जावे।

2. लर्नर लाईसेंस, स्थाई लाईसेंस अथवा लाईसेंस के विरुद्ध प्रदान की जाने वाली किसी भी प्रकार की सेवा के लिए आवेदक से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी यथा फॉर्म नंबर 2, 4 एवं 8 (सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 20.03.2018 के अनुसार नवीन फॉर्म 2) प्राप्त नहीं किया जावेगा।

3. ऐसे आवेदन जिनमें प्रार्थी का चालन परीक्षण लिया जाना अपेक्षित है प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित परिवहन निरीक्षक/उप निरीक्षक आवेदक की पुष्टि आवेदक से लर्निंग लाईसेंस प्राप्त कर उस पर मुद्रित फोटोग्राफ के आधार पर करेंगे तथा अपनी टेस्ट रिपोर्ट लर्निंग लाईसेंस पर ही अंकित करेंगे। चालन परीक्षण अधिकारी उक्त टेस्ट रिपोर्ट का अंकन 'सारथी 4.0' में अविलंब किया जाना भी सुनिश्चित करेंगे। 'सारथी 4.0' में चालन परीक्षण रिपोर्ट का अंकन किये जाने के पश्चात् लर्निंग लाईसेंस को संधारित किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

Scanned by CamScanner

4. 'सारथी 4.0' में डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी का अधिकार संबंधित लिपिक को प्रदान किये जाने का प्रावधान उपलब्ध है। अतः सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी लाईसेंस संबंधि सेवाओं हेतु 'सारथी 4.0' में डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी का कार्य परिवहन निरीक्षक/उप निरीक्षक के स्थान पर संबंधित लिपिक को हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
5. लाईसेंसिंग अधिकारी द्वारा मोटर ड्राईविंग स्कूल द्वारा जारी लर्नर लाईसेंस में संभावित अनियमितताओं पर अंकुश लगाने की दृष्टि से मोटर ड्राईविंग स्कूल द्वारा लर्निंग लाईसेंस की संख्या पर प्रभावी पर्यवेक्षण रखा जावेगा तथा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि मोटर ड्राईविंग स्कूल द्वारा प्रत्येक माह में जारी लर्नर लाईसेंसों की संख्या ऐसे स्कूल को प्रशिक्षण हेतु अनुज्ञात वाहनों की संख्या के अनुरुप है अथवा नहीं। मोटर ड्राईविंग स्कूल द्वारा प्रशिक्षण हेतु अनुज्ञात प्रति दुपहिया वाहन अधिकतम 50, हल्का चार पहिया मोटर यान हेतु 30 एवं भार वाहन हेतु 20 लर्नर लाईसेंस प्रति माह जारी किये जा सकते हैं। इस मापदण्ड से अधिक लर्नर लाईसेंस जारी करने वाले स्कूल के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
6. प्रत्येक आवेदक के आवेदन का निस्तारण आवश्यक रुप से आवेदक को आवंटित टाईम स्लॉट की अवधि में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

उक्त आदेशों की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित की जावे।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
परिवहन आयुक्त एवं
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांकः एफ 25(62)/परि/कंप्यू./2014/10408 to 412 जयपुर, दिनांकः-15/05/18

1. निजी सहायक, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण ....।
3. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी.....................................।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

जिला परिवहन अधिकारी (नियम)

Scanned by CamScanner